



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 8 जून, 1973  
ज्येष्ठ 18, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1960/सत्रह-वि०-1-61-1972  
लखनऊ, 8 जून, 1973

विज्ञप्ति  
विविध

भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 5 जून, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973)  
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

2—एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ रख दी जायें, अर्थात्—

“3—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(1) “बैंकिंग कम्पनी” का तात्पर्य वही है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक-घन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में है;

(2) “अधिकतम क्षेत्र” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो;

संक्षिप्त नाम

घोषणा

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1961 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के स्थान पर नयी धाराओं का रखा जाना

परिभाषाएं

- (3) 'कम्पनी,' 'सरकारी कम्पनी' और 'सार्वजनिक कम्पनी' के वही अर्थ हूँ जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में कम्पनी, गवर्नमेंट कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनी के लिये है ;
- (4) 'सहकारी समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति से है ;
- (5) 'निगम' का वही अर्थ है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की धसूची) अधिनियम, 1972 में दिया गया है ;
- (6) 'डिग्री या स्नातकोत्तर कालेज' का तात्पर्य ऐसे कालेज से है जो किसी विश्व-विद्यालय के सम्बन्ध में सम्बद्ध, सह्युक्त अथवा संघटक कालेज हो ;
- (7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में, 'परिवार' का तात्पर्य स्वयं और (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न) उसके पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवयस्क पुत्रों और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियों से है ;
- (8) 'बाग-भूमि' का तात्पर्य किसी जोत में ऐसी विशिष्ट भूमि से है जिस पर 24 जनवरी, 1971 के पूर्व इतनी संख्या में वृक्ष (जिसके अन्तर्गत पपोता, फेला या अंगूर की लतायें नहीं हैं) लगाये गये हों कि उनसे, या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी यथेष्ट भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करना असम्भव हो जाय, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष बाग कहलायेंगे ;
- (9) 'जोत' का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सौरदार, गांव सभा के असामी या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी, अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 के अधीन शिकमी काश्तकार से भिन्न काश्तकार, या सरकारी पट्टेदार, अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो, तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो ;
- (10) 'इण्टरमीडियेट कालेज' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त कालेज से है ;
- (11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से, किसी कृषि वर्ष में किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म द्वारा आइवस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिए सक्षम अवधारित किया जाय ;
- (12) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;
- (13) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो प्रथम ध्रेणी के सहायक फलेक्टर के पद से नीचे का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तबयं निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;
- (14) 'निजी सिंचन संकर्म' का तात्पर्य 15 अगस्त, 1972 के पूर्व निर्मित, निजी नलकूप, या चिरस्थायी जल स्रोत से जल-सम्भरण के लिये डिजल या विद्युत् शक्ति से परिचालित निजी लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;
- (15) 'राजकीय सिंचन संकर्म' का तात्पर्य नार्वेन इंडिया कॅनल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में यथापरिभाषित नहर, अथवा संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 में यथापरिभाषित राजकीय नलकूप, अथवा किसी चिरस्थायी जलस्रोत से जल-सम्भरण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित और डिजल या विद्युत् शक्ति द्वारा परिचालित लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;
- (16) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य किसी खातेदार द्वारा धृत और उस पर प्रयोज्य अधिकतम भूमि से अधिक भूमि से है तथा उसके अंतर्गत, उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कुओं और वृक्षों से भी है ;
- (17) 'खातेदार' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—  
(क) कोई महिला जिसका पति खातेदार हो ;  
(ख) अवयस्क बच्चा जिसके पिता या माता खातेदार हों ;
- (18) 'असिंचित भूमि' का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि से है ;
- (19) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है ;

(20) 'ऊसर भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय; और

(21) जो शब्द तथा पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिये गये हैं।

4—धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ—

(1) खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि या बाग-भूमि की ढाई हेक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा;

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्—

(क) बुन्देल खण्ड;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग;

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिले के यमुना के इस पार के भाग;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कंनूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरीष और टप्पा चौरासी (बलायै पहाड़);

(च) मिर्जापुर जिले में राबट्सगंज तहसील का वह भाग, जो कंनूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है;

(छ) मिर्जापुर जिले में परगना सकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरीरा और भगवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की अनुसूची 6 की सूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित हैं;

(ज) वाराणसी जिले में तहसील बकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र;

(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार भावर परगना;

किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा।

5—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।

(2) उपधारा (1) को कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम;

(ख) विश्वविद्यालय;

(ग) स्नातकोत्तर कालेज;

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक;

(ङ) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति।

(3) उपधारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हैं तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

अधिकतम सीमा का आरक्षण

का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी।

**स्पष्टीकरण—**खंड (क) तथा (ख) में, पद 'वयस्क पुत्र' के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो।

(ग) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला डिग्री कालेज हो—सिंचित भूमि के 20 हेक्टर;

(घ) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इण्टरमीडियेट कालेज हो,—सिंचित भूमि के 12 हेक्टर;

(ङ) किसी अन्य खातेदार की दशा में—सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टर।

**स्पष्टीकरण—**उपधारा (6) तथा (7) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिए भी की जायेगी—

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र खण्ड (क) के अर्थात् अन्तर्गत स्वयं खातेदार है या नहीं;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ।

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय (चाहे वह निर्गमित हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है), द्वारा धृत हो तो उस जोत को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों) उक्त फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय में उनके अपने-अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा।

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में,—

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभार्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात में ऐसे न्यास की आय में उनका अलग-अलग अंश हो;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा नियंत्रित होगा।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की, जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो।

**स्पष्टीकरण—**यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करन वाले पक्ष पर होगा।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की, जो ऐसा विभाजन न हो की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और गणना नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन विभाजन;

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया गणना का विभाजन:

अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच बुराभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया है जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जिसने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण—यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा।

6—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिवहन, भंडार-करण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो;

(ख) वह भूमि जो आवास-गृह द्वारा अभ्यासित हो;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है;

(घ) वह भूमि जो घास, काफी या रबर प्लान्टेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लान्टेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो;

(ङ) वह भूमि जो चौबीस जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक धृत हो;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, म्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन धृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और वह ऐसा वक्फ, म्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हों;

(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) गोशाला द्वारा धृत हो;

(ज) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकारी पट्टेदार को भूमि-सुधार तथा खेती के लिए अथवा ऐसी विशिष्ट फसल की खेती के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं, पट्टे पर दी गई हों।

7—किसी भूमि के अंतरण के लिए, यदि ऐसा अंतरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिए कोई वाव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

8—यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धृत भूमि समझा जायगा।”

4—मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

“(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिविष्ट विवरण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिविष्ट अपने विवरण-पत्र के साथ ऐसे प्लॉट या प्लॉटों को रखने के सम्बन्ध में जिन्हें वे अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाव सम्बन्धी रोक

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

धारा 9 का संशोधन

रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्मति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक् रूप से नोटिस तामील करायेंगा।”

धारा 10 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक “धारा 6 या 7 के अधीन” के स्थान पर शब्द तथा अंक “धारा 6 के अधीन” रख दिये जायें।

नयी धारा 12-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“12-क—धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, खातेदार द्वारा प्लॉट या प्लॉटों के सम्बन्ध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण-पत्र में या किन्हीं अनुधर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपादिकता को ध्यान में रखेगा ;

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लॉट या प्लॉटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिये जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हो ;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या किसी बैंकिंग कंपनी या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कंपनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी ;

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिविष्ट किसी अंतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, ऐसे अंतरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अंतरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अंतरण या विभाजन, जहां तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य सनक्ष्ता जायगा और सर्वे से शून्य होगा; और—

(1) अंतरित अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल को आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अंतरक को देय प्रतिफल पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि को उस प्रकार की तुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा ;

(2) विभाजन से सम्बन्धित (ऐसे खातेदार जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो, विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।”

नयी धारा 13-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

“13-क—(1) नियत प्राधिकारी, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के कतिपय मामलों में दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी समय, अभिलेख अतिरिक्त भूमि का को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :  
पुनः अवधारण

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिणति जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय की नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न दे दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12-क, 13, 14 और 15 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी।”

8—मूल अधिनियम की धारा 14 की—

(1) उपधारा (2) के अन्त में, उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय; अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि प्रभार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर, धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा”।

(2) उपधारा (3) में शब्द “या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार” के पश्चात् शब्द “या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितवद्ध व्यक्ति” बढ़ा दिये जाय;

(3) उपधारा (7) में शब्द “या खातेदार के पट्टेदार” के पश्चात् शब्द “या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितवद्ध व्यक्ति” बढ़ा दिये जाय।

9—मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाय।

10—मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारार्यें बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“17-क—धारा 17 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्ण वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्ण प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, प्रतिकर के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात्:—

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा कृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्ण प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा;

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का सम्बन्ध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्ण प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 1972 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी, और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के लिये लागू होते;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास, या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू हैं तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा।

17-ख—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील पर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणाम स्वरूप धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन कतिपय मामलों में प्रतिकर के परिणाम स्वरूप धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन लौटाया जाना राज्य सरकार को अंतरित या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार को या उसके हित-उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो, तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि, या जैसी भी दशा हो, आनुपातिक धनराशि वापस कर दें।

(2) ऐसी कोई धनराशि जो अवतत रह जाय, राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व के वकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।”

11—मूल अधिनियम की धारा 24 निकाल दी जाय।

12—मूल अधिनियम की धारा 27 की—

(1) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द “गांव समाज” आये हों, उनके स्थान पर शब्द “गांव सभा” रख दिये जाय;

धारा 14 का संशोधन

धारा 16 का निकाला जाना तथा धारा 17-क का बढ़ाया जाना

धारा 24 का निकाला जाना धारा 27 का संशोधन

(2) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय; अर्थात्—

“(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है;”

(3) उपधारा (3) में शब्द 'सिवाय इसके कि उसमें निविष्ट मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी' निकाल दिये जायं।

(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

“(4) आयुक्त ऐसे बन्दोबस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोबस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक बंशित करने की नोटिस देने के पश्चात्—

(1) बन्दोबस्त और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात्, किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुये भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, ऐसी भूमि में, अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय, और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र बिया जा सकता है —

(क) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये बन्दोबस्त या निष्पादित पट्टे की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष के भीतर; और

(ख) किसी अन्य दशा में उस आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर जब कलेक्टर ऐसे बन्दोबस्त के लिये निदेश दे।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिलेखन द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निविष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मण्डल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।”

धारा 28 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) निकाल दी जाय।

धारा 29 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाय।

14—मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय; अर्थात्—

“29—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात्—

अप्रेत भूमि का अति-रिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा (क) किसी न्यायालय की डिक्ली या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि किसी खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिला कर, उसके लिए प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग-भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के अधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय, तो अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा और तदनुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारित की जाने योग्य होगी।”

धारा 30 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक “धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन या” निकाल दिये जायं।

16—मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जाय।

धारा 34 का  
निकाला जाना  
धारा 42 का  
संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(1) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेडेशन ऐक्ट, 1908" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम 1963" रख दिये जायें ;

(2) शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेडेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5 तथा 12" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12" रख दिये जायें ।

18—मूल अधिनियम की धारा 43 में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन आपाति सुनने के अधिकार को छोड़कर" निकाल दिये जायें ।

धारा 43 का  
संशोधन

19—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 30 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिए विचाराधीन समस्त कार्यवाहियों का उपशमन हो जायगा और नियत प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2), जैसी कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के अधीन नोटिस जारी करके उक्त अधिनियम के अधीन अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के लिए फिर से कार्यवाहियां शुरू करेगा :

संक्रमणकालीन  
उपबन्ध

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में अधिकतम क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायगा—

(क) प्रथमतः अधिकतम क्षेत्र का अवधारण मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार किया जायगा ;

(ख) तत्पश्चात्, अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे खालेदार के सम्बन्ध में, जिससे सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तिम रूप से अवधारित कर दी गयी हो, मूल अधिनियम की धारा 14 या अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन कोई कार्यवाही ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) और 13-क, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के उपबन्धों की प्रयोज्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है ।

No. 1960(2)/XVII-V-1-61-1972

Dated Lucknow, June 8, 1973

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Adhikatanam Jot-Seema Aropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1973), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on June 5, 1973.

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON  
LAND HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 1972  
(U. P. ACT NO. 18 OF 1973)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling  
on Land Holdings Act, 1960.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972.

Short title.

2. It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clauses (b) and (c) of article 39 of the Constitution.

Declaration.

3. For sections 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be substituted, namely :—

Substitution of  
new sections for  
sections 3, 4, 5,  
6, 7 and 8 of U. P.  
Act I of 1961.

"3. In this Act, unless the context otherwise requires—

(1) 'banking company' has the same meaning as in Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Ducs) Act, 1972;

Definitions.

(2) 'ceiling area' means the area of land, not being land exempted under this Act, determined as such in accordance with the provisions of section 5;

(3) 'company', 'Government company' and 'public company' have the same meanings as in the Companies Act, 1956;

(4) 'co-operative society' means a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965;

(5) 'corporation' has the same meaning as in Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972;

(6) 'degree or post-graduate college' means such college as is affiliated, associated or constituent college in relation to a University;

(7) 'family', in relation to a tenure-holder, means himself or herself and his wife or her husband, as the case may be (other than a judicially separated wife or husband), minor sons and minor daughters (other than married daughters);

(8) 'grove land' means any specific piece of land in a holding having trees (not including papaya, banana or vine plants) planted thereon before January 24, 1971, in such numbers that they preclude, or when full grown will preclude, the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and the trees on such land constitute a grove;

(9) 'holding' means the land or lands held by a person as a *bhumidhar sirdar*, *asami* of Gaon Sabha or an *asami* mentioned in section 11 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or as a tenant under the U. P. Tenancy Act, 1939, other than a sub-tenant, or as a Government lessee, or as a sub-lessee of a Government lessee, where the period of the sub-lease is co-extensive with the period of the lease;

(10) 'intermediate college' means a college recognized as such by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh;

(11) 'irrigated land' means land which is determined in the manner prescribed to be capable of growing at least two crops in an agricultural year in consequence of assured irrigation from any State irrigation work or private irrigation work;

(12) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(13) 'prescribed authority' means such officer not below the rank of an Assistant Collector of the first class as may be empowered by the State Government, by notification in the *Gazette*, to perform the functions of prescribed authority under this Act for such area or areas as may be specified in that behalf;

(14) 'private irrigation work' means a private tube-well, or a private lift irrigation work operated by diesel or electric power for the supply of water from a perennial water source, completed before August 15, 1972;

(15) 'state irrigation work' means a canal as defined in the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, or a State Tube-well as defined in the United Provinces State Tube-wells Act, 1936, or lift irrigation work constructed, maintained or controlled by the State Government and operated by diesel or electric power for the supply of water from any perennial water source;

(16) 'surplus land' means land held by a tenure-holder in excess of the ceiling area applicable to him, and includes any buildings, wells and trees existing thereon;

(17) 'tenure-holder' means a person who is the holder of a holding, but does not include—

(a) a woman whose husband is a tenure-holder;

(b) a minor child whose father or mother is a tenure-holder.

(18) 'unirrigated land' means any land other than irrigated land or grove land;

(19) 'University' means a University established by law;

(20) 'usar land' means land determined to be *usar* in such manner as may be prescribed; and

(21) the words and expressions not defined in this Act, but used in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall have the meanings assigned to them in that Act;

4. For purposes of determining the ceiling area under section 5 or any exemption under section 6—

Determination of area for purposes of ceiling and exemptions.

(i) subject to the provisions of clause (ii), one and one-half hectares of unirrigated land or two and a half hectares of grove-land or two and a half hectares of *usar* land shall count as one hectare of irrigated land;

(ii) two and a half hectares of any unirrigated land, in the following areas, namely—

(a) Bundelkhand ;

(b) trans-Jamuna portions of Allahabad, Etawah, Mathura and Agra districts ;

(c) cis-Jamuna portions of Allahabad, Fatehpur, Kanpur, Etawah, Mathura and Agra districts up to 16 kilometres from the deep stream of the Jamuna ;

(d) the portion of Mirzapur district south of Kaimur Range ;

(e) Tappa Upraudh and Tappa Chaurasi (Balai Pahar) of Tahsil Sadar in Mirzapur district ;

(f) the portion of Tahsil Robertsganj, in Mirzapur district which lies north of Kaimur Range ;

(g) Pargana Sakteshgarh and the villages mentioned in lists 'A' and 'B' of Schedule VI to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, in hilly paties of Parganas Ahraura and Bhagat of Tahsil Chunar in Mirzapur district ; and

(h) the area comprised in the former Taluka of Naugarh or Tahsil Chakia in Varanasi district ;

(i) hilly and Bhabar areas of Kumaun and Garhwal Divisions and Jaunsar Bawar Pargana of Dehra Dun district ;

shall count as one hectare of irrigated land.

5. (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, no tenure-holder shall be entitled to hold in the aggregate, throughout Uttar Pradesh, any land in excess of the ceiling area applicable to him.

Imposition of ceiling.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to land held by the following classes of persons, namely :—

(a) the Central Government, the State Government or any local authority or a Government Company or a Corporation ;

(b) a University ;

(c) a post-graduate college ;

(d) a banking company or a co-operative bank or a co-operative land development bank ;

(e) the Bhoodan Yagna Committee constituted under the U. P. Bhoodan Yagna Act, 1952.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (4), (5) and (6), the ceiling area for purposes of sub-section (1) shall be—

(a) in the case of a tenure-holder having a family of not more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), plus two additional hectares of irrigated land or such additional land which together with the land held by him aggregates to two hectares, for each of his adult sons, who are either not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, subject to a maximum of six hectares of such additional land ;

(b) in the case of a tenure-holder having a family of more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), besides, each of the members exceeding five and for each of his adult sons who are not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, two additional hectares of irrigated land or such additional land which together with the land held by such adult son aggregates to two hectares, subject to a maximum of six hectares of such additional land.

*Explanation*—The expression 'adult son' in clauses (a) and (b) includes an adult son who is dead and has left surviving behind him minor sons or minor daughters (other than married daughters) who are not themselves tenure-holders or who hold land less than two hectares of irrigated land ;

(c) in the case of a tenure-holder being a degree college imparting education in agriculture, 20 hectares of irrigated land ;

(d) in the case of a tenure-holder being an intermediate college imparting education in agriculture, 12 hectares of irrigated land ;

(e) in the case of any other tenure-holder, 7.30 hectares of irrigated land.

*Explanation*—Any transfer or partition of land which is liable to be ignored under sub-sections (6) and (7) shall be ignored also—

(p) for purposes of determining whether an adult son of a tenure-holder is himself a tenure-holder within the meaning of clause (a) ;

(q) for purposes of service of notice under section 9.

(4) Where any holding is held by a firm or co-operative society or other society or association of persons (whether incorporated or not, but not including a public company), its members (whether called partners, share-holders or by any other name) shall, for purposes of this Act, be deemed to hold that holding in proportion to their respective shares in that firm, co-operative society or other society or association of persons.

(5) In respect of any holding held by any private trust,—

(a) where the shares of its beneficiaries in the income from such trust are known or determinable, the beneficiaries shall, for purposes of this Act, be deemed to have the shares in that holding in the same proportions as their respective shares in the income from such trust,

(b) in any other case, it shall be governed by clause (d) of sub-section (3).

(6) In determining the ceiling area applicable to a tenure-holder, any transfer of land made after the twenty-fourth day of January, 1971, which but for the transfer would have been declared surplus land under this Act, shall be ignored and not taken into account ;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to—

(a) a transfer in favour of any person (including Government) referred to in sub-section (2) ;

(b) a transfer proved to the satisfaction of the prescribed authority to be in good faith and for adequate consideration and under an irrevocable instrument not being a *benami* transaction or for the immediate or deferred benefit of the tenure-holder or other members of his family.

*Explanation*—The burden of proving that a case falls within clause (b) of the proviso shall rest with the party claiming its benefit.

(7) In determining the ceiling area applicable to a tenure-holder, any partition of land made after the twenty-fourth day of January, 1971, which but for the partition would have been declared surplus land under this Act shall be ignored and not taken into account ;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to—

(a) a partition under the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 ;

(b) a partition of a holding made in a suit or a proceeding pending on the said date :

Provided further that notwithstanding anything contained in the preceding proviso, the prescribed authority, if it is of opinion that by collusion between the tenure-holder and any other party to the partition, such other party has been given a share which he was not entitled to, or a larger share than he was entitled to, may ignore such partition.

*Explanation*—The burden of proving that a case falls within the first proviso shall rest with the party claiming its benefit.

6. Notwithstanding anything contained in this Act, land falling in any of the categories mentioned below shall not be taken into consideration for the purposes of determining the ceiling area applicable to, and the surplus land of a tenure-holder, namely—

Exemption of certain land from the imposition of ceiling.

(a) land used for an industrial purpose (that is to say, for purposes of manufacture, preservation, storage or processing of goods), and in respect of which a declaration under section 143 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, subsists;

(b) land occupied by a residential house;

(c) land used as cremation ground or as a grave-yard, but excluding cultivated land;

(d) land used for tea, coffee or rubber plantations, and to the extent prescribed, land required for purposes ancillary thereto and for development of such plantations;

(e) land held from before January 24, 1971, for purposes of a stud farm, to the extent prescribed;

(f) land held from before the first day of May, 1959, by or under a public religious or charitable *waqfs*, trust, endowment, or institution the income from which is wholly utilized for religious or charitable purposes, and not being a *waqf*, trust or endowment of which the beneficiaries wholly or partly are settlor or members of his family or his descendants;

(g) land held by a Goshala (registered under the Uttar Pradesh Goshala Adhinyam, 1964), to the extent prescribed;

(h) land let out after the enforcement of this Act to a Government lessee for reclamation and cultivation or for cultivation of such specialized crops or for other such purposes as may be prescribed.

7. No suit shall lie for the specific performance of any contract for transfer of any land where such transfer is liable to be ignored under sub-section (6) of section 5. Bar of suit on basis of certain contracts for transfer of land.

8. Where the land held by the wife or minor son or daughter of a tenure-holder has been aggregated with the land held by the tenure-holder's family under clause (a) of sub-section (3) of section 5, the land left with them shall be deemed to be held jointly by them in proportion to the market value of the land respectively held by them before the declaration of surplus land under this Act." Rights of tenure-holder and other members of his family in land held within ceiling area.

4. Section 9 of the principal Act, shall be *re-numbered* as sub-section (1), thereof, and *after* sub-section (1), as so *re-numbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely,— Amendment of section 9.

"(2) As soon as may be after the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, the prescribed authority shall, by like general notice, call upon every tenure-holder holding land in excess of the ceiling area applicable to him on the enforcement of the said Act, to submit to him within 30 days of publication of such notice, a statement referred to in sub-section (1).

(3) Where the tenure-holder's wife holds any land which is liable to be aggregated with the land held by the tenure-holder for purposes of determination of the ceiling area, the tenure-holder shall, along with his statement referred to in sub-section (1), also file the consent of his wife to the choice in respect of the plot or plots which they would like to retain as part of the ceiling area applicable to them and where his wife's consent is not so obtained, the prescribed authority shall cause the notice under sub-section (2) of section 10 to be served on her separately."

5. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the words and figures, "under sections 6 and 7", the words and figure "under section 6" shall be *substituted*. Amendment of section 10.

6. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely— Insertion of new section 12-A.

"12-A. In determining the surplus land under section 11 or section 12, the prescribed authority shall, as far as possible, accept the choice indicated by the tenure-holder to the plot or plots which he and other members of his family if any, would like to retain as part of the ceiling area applicable to him or them under the provisions of this Act, whether

indicated by him in his statement under section 9 or in any subsequent proceedings :

Provided that—

(a) the prescribed authority shall have regard to the compactness of the land to be included in the ceiling area applicable to the tenure-holder ;

(b) where the tenure-holder's wife holds any land which is aggregated with the land held by the tenure-holder for purposes of determination of the ceiling area, and his wife has not consented to the choice indicated by the tenure-holder as to the plot or plots to be retained as part of the ceiling area applicable to them, then the prescribed authority shall, as far as possible, declare the surplus land in such manner that the area taken out of the land held by the tenure-holder's wife bears to the total surplus area the same proportion as the area originally held by her bore to the total land held by the family ;

(c) where any person holds land in excess of the ceiling area including any land mortgaged to the State Government or to a banking company or to a co-operative land development bank or other co-operative society or to the Corporation or to a Government Company, the surplus land to be determined shall, as far as possible, be land other than that so mortgaged ;

(d) where any person holds land in excess of the ceiling area including land which is the subject of any transfer or partition referred to in sub-section (6) or sub-section (7) of section 5, the surplus land determined shall, as far as possible, be land other than land which is the subject of such transfer or partition, and if the surplus land includes any land which is the subject of such transfer or partition, the transfer or partition shall, in so far as it relates to the land included in the surplus land, be deemed to be and always to have been void, and—

(i) it shall be open to the transferee to claim refund of the proportionate amount of consideration, if any, advanced by him to the transferor, and such amount shall be charged on the compensation payable to the transferor under section 17 and also on any land retained by the transferor within the ceiling area, which shall be liable to be sold in satisfaction of the charge, notwithstanding anything contained in section 153 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;

(ii) any party to the partition (other than the tenure-holder in respect of whom the surplus land has been determined) whose land is included in surplus land of the said tenure-holder shall be entitled to have the partition re-opened."

Insertion of new section 13-A.

7. After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"13-A. (1) The prescribed authority may, at any time, within a period of two years from the date of the notification under sub-section (1) of section 14, rectify any mistake apparent on the face of the record :

Re-determination of surplus land in certain cases.

Provided that no such rectification which has the effect of increasing the surplus land shall be made, unless the prescribed authority has given notice to the tenure-holder of its intention to do so and has given him a reasonable opportunity of being heard.

(2) The provisions of sections 10, 11, 12, 12-A, 13, 14 and 15 shall *mutatis mutandis* apply in relation to any proceeding under sub-section (1), and for purposes of application of section 10, the notice under the proviso to sub-section (1), shall be deemed to be a notice under section 9."

Amendment of section 14.

8. In section 14 of the principal Act—

(i) in sub-section (2), the following proviso thereto shall be inserted, at the end, namely :

"Provided that the encumbrances, if any, shall be attached to the compensation payable under section 17 in substitution for the surplus land."

(ii) in sub-section (3), after the words "or a lessee in possession from the tenure-holder" the words "or a person interested in any encumbrances referred to in the proviso to sub-section (2)" shall be *inserted* ;

(iii) in sub-section (7), after the words "or a lessee of the tenure-holder", the words "or a person interested in any encumbrances referred to in the proviso to sub-section (2)" shall be *inserted*.

9. Section 16 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 16.

10. After section 17 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new sections 17-A and 17-B.

"17-A. Notwithstanding anything in section 17, the following provisions shall apply in respect of compensation payable to those public religious or charitable trusts, endowments or institutions, a part of the income from which is utilized for religious or charitable purposes, namely—

Payment of compensation to trusts, etc.

(i) the surplus land held by such *waqf*, trust, endowment or institution shall be deemed to be divided into two parts in the same proportions in which its income is utilized respectively for religious or charitable purposes and for other purposes ;

(ii) so far that part of the surplus land, the income from which is utilized for religious or charitable purposes is concerned, an annuity equivalent to the annual average of the actual net profits during the five years preceding July 1, 1972, to be determined in the prescribed manner shall be payable in lieu of the compensation referred to in section 17, and the provisions of sections 18, 19, 20, 21, 22 and 23, shall *mutatis mutandis* apply in relation to the said annuity as they apply to the compensation referred to in section 17 ;

(iii) in respect of the remaining surplus land, the compensation shall be payable in accordance with section 17.

*Explanation*—If any *waqf*, trust, endowment or institution claims that the provisions of this section apply to it, the burden of proving the same shall lie on it."

"17-B. (1) Where as a result of any order passed on appeal under this Act or of any other order of any court or tribunal the possession of any land transferred to or vested in the State Government under sub-section (2) of section 14 is required to be restored to any tenure-holder or his successor-in-interest or any other person, whether before or after the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, the Compensation Officer shall order the tenure-holder to refund the whole or, as the case may be, the proportionate amount of compensation paid to him.

(2) Any such amount remaining unpaid shall be recoverable by the State Government as an arrear of land revenue."

11. Section 24 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 24. Amendment of section 27.

12. In section 27 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), for the words "Gaon Samaj" wherever they occur, the words "Gaon Sabha" shall be *substituted* ;

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) The State Government may either settle any surplus land in accordance with sub-section (1) or sub-section (3) or use or permit its use in accordance with section 25 or manage or otherwise deal with it in such manner as it thinks fit."

(iii) in sub-section (3) the words "except that the qualification of residence in the circle specified therein, shall not be applicable" shall be *omitted* ;

(iv) after sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(4) the Commissioner may of his own motion and shall, on the application of any aggrieved person inquire into such settlement and if he is satisfied that the settlement is irregular, he may after

notice to the person in whose favour such settlement is made to show cause,—

(i) cancel the settlement and the lease, if any, and thereupon, notwithstanding anything contained in any other law or in any instrument, the rights, title and interest of the person in whose favour such settlement was made or lease executed or any person claiming through him in such land shall cease, and such land shall revert to the State Government; and

(ii) direct that every person holding or retaining possession thereof may be evicted, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(5) every order passed by the Commissioner under sub-section (4), shall be final;

(6) the Commissioner acting of his own motion under sub-section (4) may issue notice, and an application under that sub-section may be made,—

(a) in the case of any settlement made or lease granted before the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, within one year from the date of such commencement; and

(b) in any other case, within two years from the date of the order of the Collector directing such settlement.

(7) the State Government may, by notification in the *Gazette*, declare that as from a date to be specified in this behalf, all surplus land situate in a circle which could not be settled under the provisions of this Act, shall vest in the Gaon Sabha concerned, and the provisions of section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such vesting."

Amendment of section 28. Substitution of new section 29 for section 29.

13. In section 28 of the principal Act, sub-section (2) shall be *omitted*.

14: For section 29 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"29. Where after the date of enforcement of the Uttar Pradesh Subsequent declaration of further land as surplus land. Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972,—

(a) any land has come to be held by a tenure-holder under a decree or order of any court, or as a result of succession or transfer, or by prescription in consequence of adverse possession, and such land together with the land already held by him exceeds the ceiling area applicable to him; or

(b) any unirrigated land becomes irrigated land as a result of irrigation from a State irrigation work, or any grove-land loses its character as grove-land or any land exempted under this Act ceases to fall under any of the categories exempted,—

the ceiling area shall be liable to be re-determined and accordingly any land held by him in excess of the ceiling area so re-determined shall be liable to be treated as surplus land."

Amendment of section 30.

15. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), the words, letters, figures and brackets "under clause (b) of sub-section (2) of section 4 or" shall be *omitted*.

Omission of section 34.

16. Section 34 of the principal Act, shall be *omitted*.

Amendment of section 42.

17. In section 42 of the principal Act,—

(i) in the marginal heading; for the words and figures "the Indian Limitation Act, 1908", the words and figures "the Limitation Act, 1963" shall be substituted;

(ii) for the words and figures, "sections 5 and 12 of the Indian Limitation Act, 1908", the words and figures "sections 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963" shall be *substituted*.

18. In section 43 of the principal Act, the words, brackets and figures "except the power to hear an objection under sub-section (3) of section 16" shall be *omitted*. Amendment of section 43.

19. (1) All proceedings for the determination of surplus land under section 9, section 10, section 11, section 12, section 13 or section 30 of the principal Act, pending before any court or authority at the time of the commencement of this Act, shall abate and the prescribed authority shall start the proceedings for determination of the ceiling area under that Act afresh by issue of a notice under sub-section (2) of section 9 of that Act as *inserted* by this Act : Transitory provisions.

Provided that the ceiling area in such cases shall be determined in the following manner :—

(a) firstly, the ceiling area shall be determined in accordance with the principal Act, as it stood before its amendment by this Act ;

(b) thereafter, the ceiling area shall be re-determined in accordance with the provisions of the principal Act as amended by this Act.

(2) Notwithstanding, anything in sub-section (1), any proceeding under section 14 or under Chapter III or Chapter IV of the principal Act, in respect of any tenure-holder in relation to whom the surplus land has been determined finally before the commencement of this Act, may be continued and concluded in accordance with the provisions of the principal Act, without prejudice to the applicability of the provisions of sub-section (2) of section 9 and section 13-A of that Act, as *inserted* by this Act, in respect of such land.

आज्ञा से,  
कैलाश नाथ गोयल,  
सचिव ।